RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 नवम्बर, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 10, अंक : 6

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

वर्ष 2013 का भण्डारण सीजन सारे प्रदेश में प्रायः समाप्त हो चुका है। अपुष्ट समाचारों से पता लगा है कि कुछ शीतगृहों में अभी भी आलू बच रहा है, कुछ शीतगृहों में तो बचे हुए आलू की मात्रा काफी अधिक ही बताई जा रही है। यदि आलू अधिक बच गया है तो अब ऐसे भण्डारित आलू को नए आलू से काफी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अतः आलू को रोकना किसी भी तरह की समझदारी नहीं लगती।

अक्टूबर, 2013 माह में आलू में तेजी का प्रभाव देखा गया जिससे कि शीतगृहों का आलू इज्जत से निकल गया व भण्डारणकर्ताओं को भी लाभ हुआ और पूरे सत्र में हानि कुछ कम हो गई। अगले वर्ष पुनः भण्डारण करने का साहस बढ़ा। शीतगृह भी अपना भाड़ा पूरी तरह वसूल पाये। कुछ जगहों पर पूरा लोन वसूल नहीं हो पाया फिर भी शीतगृहों के नजरीये से यह सत्र बुरा नहीं रहा। जहाँ तक समाचार मिल रहे हैं पूरे प्रदेश में बुआई तेजी से चल रही है। यह भी समाचार मिला है कि इस वर्ष गन्ने की बिक्री में होने वाली परेशानी को देखकर गन्ना किसानों का रूख आलू की बुआई की तरफ हो रहा है। यदि मौसम अनुकूल रहा तो इस वर्ष बम्पर फसल होने की उम्मीद जताई जा रही है। भण्डारण प्रभार सम्बन्धी मीटिंग वर्ष 2014 के लिए जनवरी, 2014 माह के अन्त तक लखनऊ में ही करने का विचार बन रहा है। स्थान और तारीख के लिए सुझाव आमंत्रित हैं।

पिछले अंक में अपने सदस्यों की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 प्रकाशित किया था। इस अधिनियम के साथ नियमावली भी दी गई है जिसका पालन भी अधिनियम की तरह अनिवार्य है। उल्लंघन पर अधिनियम के सारे नियम लागू हो जाते है। अतः नियमावली भी उतनी ही आवश्यक है जितना की अधिनियम। अतः नियमावली हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए सदस्यों को चाहिए कि वह इस नियमावली को भी अपने पास सुरक्षित फाइल में रखें।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन लाइसेन्स देना, नियमावली 1976 कहलायेगी।

   (2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

   परिभाषायें :

   (i) 'कलेण्डर वर्ष' का तात्पर्य पहली जनवरी से इक्तीस दिसम्बर तक की बारह परिभाषायें मास की अवधि से है।

   (ii) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है।

   (iii) 'अध्यादेश' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियम अध्यादेश, 1976 से है।

   (iv) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।

   (v) 'धारा' का तात्पर्य अध्यादेश की धारा से है।

   (vi) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु यहाँ पर अपरिभाषित शब्द तथा पदावली के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अध्यादेश में दिये गए हैं।

3. धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नवीकृत लाइसेन्स निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगा :–

   लाइसेन्स की शर्तें और निबन्धन

   (1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण सही, पूर्ण तथा लाइसेन्स अधिकारी के पूर्ण संतोषानुसार है।

   (2) कोल्ड स्टोरेज नियम 6 के अधीन विहित विनिदेशों के अनुरूप है और रहेगा।

   (3) किरायादाताओं को स्टोर किए गए या स्टोर किये जाने वाले कृषि उत्पाद का निरीक्षण करने, तुलवाने, मापने, नमूना लेने और श्रेणीकरण करने की सुविधा दी जायेगी।

   (4) लाइसेन्स सदैव कोल्ड स्टोरेज के भू–गृहादि में रखा जायेगा और निरीक्षण तथा जाँच के लिये लाइसेन्स अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

   (5) उत्पादन शुल्क लगाने योग्य किसी कृषि उत्पाद का लेन–देन करने वाले कोल्ड स्टोरेज की दशा में लाइसेन्सधारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के समय–समय पर प्रवृत्त उत्पादन शुल्क विधियों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

   (6) भू–गृहादि, जिनमें कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो, स्वच्छ होंगे। कोल्ड स्टोरेज के भीतर प्रत्येक 4645 वर्ग से.मी. (5 वर्ग फुट) स्थान के निमित्त एक बाँट की दर से विद्युत प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी।

   (7) समस्त प्रांगण, बहिर्गृह, स्टोर तथा भू–गृहादि के आगम द्वार, जहाँ कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो, स्वच्छ और शुद्ध रखे जायेंगे। कोल्ड स्टोरेज और भू–गृहादि में, जिसमें वह स्थित हो, निस्संक्रमण और दुर्गन्ध दूरी कारण की संक्रिया या उपचार उतनी बार किया जायेगा जितनी बार आवश्यक हो और कम से कम एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।

   (8) लाइसेन्सधारी कोई ऐसा उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करेगा जो कृषि उत्पादों से विपरीत अथवा गन्ध विरोधी हो। विपरीत गन्ध वाले उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज के पृथक कक्षों में स्टोर किये जायेंगे।

   (9) किसी संक्रामक या संसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को कोल्ड स्टोरेज में काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। कोल्ड स्टोरेज में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों से भिन्न कर्मचारियों के इस परीक्षण का प्रबन्ध कि वे किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग अथवा अन्य रोग से ग्रस्त तो नहीं है, एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।

   (10) कोल्ड स्टोरेज के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये ऐसे वस्त्रों की व्यवस्था की जायेगी, जो उन्हें सर्दी से बचाये। हिमांक बिन्दु से निम्नतर दशा में काम करने वाले कर्मचारियों के निमित्त जूतों (बूट) की व्यवस्था की जायेगी।

   (11) वायु के वितरण तथा परिसंचरण और वस्तुतः लादने और उतारने के निमित्त निम्नलिखित आदेशों का अनुसरण किया जायेगा –

      (i) रेकों की पंक्तियों के बीच 00.75 मीटर से कम स्थान न होगा।

      (ii) रैंक दीवालों/फर्शों से कम 20 से.मी. की दूरी पर रखे जायेंगे।

      (iii) प्रत्येक रैक के उच्चतम शेल्फ में छत तथा लदान के मध्य कम से कम 30 सेन्टीमीटर की खाली जगह खाली रखी जानी चाहिये।

      (iv) रैक के प्रत्येक शेल्फ पर लादने तथा अनुगामी शेल्फ के मध्य कम से कम 7.5 सेन्टीमीटर की खाली जगह रखी जानी चाहिये।

प्रतिबन्ध यह है कि जब बोरे में स्टोर किया जाय तब अपनियम (i), (ii), (iii) के अधीन शर्तों का पालन करते समय निम्नलिखित निदेश का भी अनुसरण किया जायेगा :—

(क) एक स्टेक में एक दूसरे से ऊपर 6 से अधिक बोरे नहीं रखे जायेंगे।

(ख) प्रत्येक बोरों की कतार में 10 से.मी. की जगह छोड़ी जायेगी।

(ग) स्टोर करने की अवधि, के दौरान बोरों को दो बार ऊपर नीचे किया जायेगा और उन्हें इस प्रकार रखा जायेगा कि स्टेक में जो बोरा सबसे नीचे है वह सब से नीचे है वह सबसे ऊपर रखा जाये और कृषि उत्पादक स्टोर करने के 45 दिन के भीतर पहली बार और स्टोर करने के नब्बे दिन के भीतर बोरों को ऊपर नीचे किया जायेगा।

(12) कोल्ड स्टोरेज में ऐसे थर्मामीटर लगे होंगे जिनमें ड्राईबल्ब तथा वेट बल्ब ताप के पाठन किए जा सकें।

(13) प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रपत्र 1 में 'लाग बुक' रखेगा और उसमें तापमान तथा सापेक्ष आद्रता तथा कम्प्रेशन का भार—वाचन कोल्ड स्टोरेज के कार्यकरण के दौरान प्रत्येक चार घंटों पर अहर्निश पर्यन्त करेगा जब तक कि स्वचालित अभिलेखी यंत्र अधिष्ठित न कर दिये गये हों। लाइसेन्स अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रत्येक निरीक्षण के मौके पर वयक्तिशः अभिलेखों का सत्यापन करने के उपरान्त 'लाग बुक' पर हस्ताक्षर करेगा।

(14) लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक कोल्ड स्टोरेज के कार्य न करने की सूचना लाइसेन्सधारी द्वारा लाइसेन्स अधिकारी को तुरन्त दी जायेगी। इस प्रकार कार्य बन्द होने का कारण 'लाग बुक' में लिखा जायेगा और उसकी सूचना लाइसेन्स अधिकारी को दी जायेगी।

(15) प्रत्येक लाइसेन्सधारी किसी कार्य दिवस को सामान्य कार्य समय में कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश करने, निरीक्षण करने या परीक्षण करने या उसकी मशीन और उपकरण लेखा का वहाँ पर स्टोर किये गए कृषि उत्पाद, उसके कार्यालय, बहियों, अभिलेखों पत्रादि और परीक्षण या निरीक्षण करने के लिये सदैव ऐसी सुविधायें देगा जैसी लाइसेन्सधारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और ऐसी अपेक्षा की जाने पर ऐसे अभिलेख या प्रमुख करेगा जो सूचना लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अध्यादेश के किसी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो।

(16) यदि कोल्ड स्टोर किया गया माल, ऐसे कारण से जो लाइसेन्सधारी के नियंत्रण से परे हो, खराब होने लगे तो लाइसेन्सधारी इसकी सूचना लाइसेन्स अधिकारी को तुरन्त देगा।

(17) किसी शेल्फ या फर्म को, जहाँ क्षतिग्रस्त या खराब हुआ, कृषि उत्पाद स्टोर किया गया हो या अस्थायी रूप से रखा गया हो, उत्पाद हटाने या निस्तारित करने के पश्चात् तुरन्त स्वच्छ और निस्संक्रमित किया जायेगा।

(18) जहाँ लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में अपने नाम से कोई कृषि उत्पाद स्टोर करना चाहे, वहाँ वह ऐसा करने के लिये अनुज्ञा के निमित्त लाइसेन्स अधिकारी को लिखित आवेदन—पत्र देगा, जिसमें उसके द्वारा स्टोर किये जाने वाले कृषि उत्पाद का परिमाण, प्रकार और अवधि जब तक के लिये इस प्रकार स्टोर करने का विचार हो, उल्लिखित की जायेगी और अपने द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को स्टोर करना वस्तुतः प्रारम्भ करने के पूर्व लाइसेन्स अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर लेगा।

(19) लाइसेन्सधारी इसके सम्बन्ध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिये, धारा 27 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये प्रभारी को छोड़कर कोई अन्य प्रभार जैसे बीमा प्रभार, कृषि उत्पाद को तौलने में कोल्ड स्टोरेज की प्रसीमा से, जहाँ उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिये किरायादाता द्वारा उतारा जाय, कृषि उत्पाद ले जाने, बोरों के ऊपर—नीचे करने और वापस करने के प्रयोजनार्थ उत्पाद को कोल्ड स्टोरेज से प्रसीमा तक ले जाने के प्रयोजनार्थ श्रम सम्बन्धी प्रभार तथा सुखाने, श्रेणीकरण करने छाँटने और दुबारा बोरों में भरने आदि के लिये स्थान और उपस्कर की व्यवस्था करने के लिये जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा न दी जाय, नहीं लेगा।

4. लाइसेन्स के लिए आवेदन—पत्र धारा 6 (1) : (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेन्स दिये जाने के लिये आवेदन—पत्र प्रपत्र संख्या 1 में, दो प्रतियों में दिया जायेगा जिस पर आवेदक के सम्यक रूप से हस्ताक्षर होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि आवेदक अध्यादेश और इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेन्स दिये जाने के लिये अतिरिक्त सूचना, जैसी लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाये, देने के लिये बाध्य होगा।

(2) जहाँ एक ही आवेदक एक से अधिक कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में लाइसेन्स प्राप्त करना चाहे, वहाँ वह प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज के लिये पृथक—पृथक आवेदन—पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) उपनियम (1), (2) में निर्दिष्ट आवेदन—पत्रों के साथ मूल चालान होगा। जिसमें नियम '5' के उपनियम (3) में उल्लिखित लेखा शीर्षक के अर्न्तगत कोषागार में उक्त नियम के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट लाइसेन्स फीस जमा की गयी उल्लिखित होगी।

5. **लाइसेन्स की धारा 6 (1) :** (1) राज्य सरकार के स्वामित्व या प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में कोई लाइसेन्स फी नहीं ली जायेगी। (2) उपनियम (1) के अन्तर्गत आने वाले कोड स्टोरेज से भिन्न कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में लाइसेन्स दिये जाने के लिये एक कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये लाइसेन्स फी निम्नलिखित होगी :—

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान एवं खाद्य, प्रसंस्करण अनुभाग–1

संख्या–511 / 55–1–2000–100 (27) / 95

लखनऊ : 31 मई, 2000

अधिसूचना

प.आ.–642

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या – 11, सन् 1976) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) प्रथम संशोधन नियमावली, 2000

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनिमन (लाइसेन्स देना प्रथम) संशोधन नियमावली, 2000 कही जायेगी।

   (2) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. **नियम 5 का संशोधन** : उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976 जिसके आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 5 के नीचे स्तम्भ एक में दिये गए वर्तमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया जायेगा, अर्थात् :

स्तम्भ–एक
वर्तमान उपनियम

उपनियम (1) के अन्तर्गत आने वाले कोल्ड स्टोरेज से भिन्न कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में लाइसेन्स दिये जाने के लिए एक कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये लाइसेन्स फीस निम्नलिखित होगी :–

स्तम्भ–दो
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

उपनियम (1) के अन्तर्गत आने वाले कोल्ड स्टोरेज से भिन्न कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में लाइसेन्स दिये जाने के लिये एक कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये लाइसेन्स फीस निम्नलिखित होगी :–

कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने की क्षमता	लाइसेन्स फीस उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज	अन्य कोल्ड स्टोरेज	कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने की क्षमता	उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी स्वमितियों के स्वामित्व और प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज	लाइसेन्स फीस अन्य कोल्ड स्टोरेज
	रुपया	रुपया		रुपया	रुपया
1. 282 घन मी. तक	55	75	1. 282 घन मी. तक	1100	1500
2. 282 घन मी. से अधिक और 7,000 घन मी. तक	225	300	2. 282 घन मी. से अधिक और 7,000 घन मी. तक	4500	6000
3. 7,000 घन मी. से अधिक और 15,000 घन मी. तक	375	500	3. 7,000 घन मी. से अधिक और 15,000 घन मी. तक	7500	10000
4. 15,000 घन मी. से अधिक	560	750	4. 15,000 घन मी. से अधिक	11200	15000

3. **नियम 11 का संशोधन** : उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ एक से दिये गए नियम 11 के वर्तमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक
वर्तमान उपनियम

लाइसेन्स के नवीनीकरण के निमित्त लाइसेन्स फीस निम्नलिखित होगी :–

स्तम्भ–दो
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

लाइसेन्स के नवीनीकरण के निमित्त लाइसेन्स फीस निम्नलिखित होगी :–

कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने की क्षमता	लाइसेन्स फीस उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज	अन्य कोल्ड स्टोरेज	कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने की क्षमता	लाइसेन्स फीस उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज	अन्य कोल्ड स्टोरेज
	रुपया	रुपया		रुपया	रुपया
1. 282 घन मी. तक	30	40	1. 282 घन मी. तक	600	800
2. 282 घन मी. से अधिक और 7,000 घन मी. तक	130	175	2. 282 घन मी. से अधिक और 7,000 घन मी. तक	2600	3500
3. 7,000 घन मी. से अधिक और 15,000 घन मी. तक	225	300	3. 7,000 घन मी. से अधिक और 15,000 घन मी. तक	4500	6000
4. 15,000 घन मी. से अधिक	375	500	4. 15,000 घन मी. से अधिक	7500	10000

आज्ञा से
पी.के. झा
सचिव

3. फीस चालान द्वारा लेखा शीर्षक ''105—कृषि सम्बन्ध प्राप्तियाँ — अन्य प्राप्तियाँ — शीतगृह लाइसेन्स फीस'' के अन्तर्गत कोषागार में जमा की जायेगा।

6. **कोल्ड स्टोरेज के लिए विनिर्देय धारा (2) (क) :** लाइसेन्स दिये जाने के लिये कोल्ड स्टोरेज निम्नलिखित विनिर्देयों के अनुरूप होगा।

(i) कोल्ड स्टोरेज इस प्रकार निर्मित और अनुरक्षित किया जायेगा कि वह आर्द्रता निरोधक, ऊष्मा निरोधक हो और उसमें पक्षियों, कीटों क्षतिकारक कीड़े—मकोड़े, चूहों कृन्तक प्राणियों और ऐसे अन्य कीड़े—मकोड़े तथा पशुओं के प्रवेश को रोका जा सके या स्टोर किए गये कृषि उत्पाद को क्षति पहुँचाने के विरुद्ध संरक्षित हो।

(ii) किसी कृषि उत्पाद को इस प्रकार स्टोर किया जायेगा जिससे कि उसे आर्द्रता, नमी, ऊष्मा, झंझावात से या फर्श, पार्श्व दीवाल, दरवाजों और खिड़कियों आदि से, पानी से बचाया जा सके।

(iii) कोल्ड स्टोरेज के फर्श, छत, दीवारों दरवाजों और खिड़कियों या किसी छिद्र (ओपनिंग) का ऊष्मारोधन (1) कार्क स्लेब, (2) ग्लास ऊल, (3) राक ऊल, (4) एक्सपेस्डेड पोलिसटीरीन, (5) थरमोपोकोल, (6) थरमो फुआम, (7) थरमोएलायट, (8) थरमोपोपेक या ऐसी अन्य वस्तु से किया जायेगा जिसे लाइसेन्स अधिकारी अनुमोदित करें। कोल्ड स्टोरेज के तापमान के अनुसार, जिसे लाइसेन्स अधिकारी के अनोमुदनाधीन रहते हुए हिमांक बिन्दु से कम नीचे या अधिक रखा जायेगा। ऊष्मारोधन कार्यवाही उचित रीति से की जानी चाहिए।

(iv) जोड़ो से तापमान निकलने की सभी संभावनाओं को दूर करने के लिये घुमावदार जोड़ो को तिरछी करके ऊष्मारोधन सामग्री दो परतों में लगायी जानी चाहिये।

(v) कोल्ड स्टोरेज के दरवाजों में ऊष्मारोधन की पर्याप्त व्यवस्था होगी और युक्तियुक्त रूप से वायुरोधी होनी चाहिए। दरवाजों की डिजाइन ऐसी होगी जिससे कि कोई व्यक्ति उसे बाहर और भीतर दोनों तरफ से खोल सके।

(vi) जहाँ कहीं रेक की व्यवस्था की जाय वहाँ उन्हें इस प्रकार निर्मित किया जायेगा कि कोल्ड स्टोरेज में कार्य करने वाले कर्मचारियों के जीवन को खतरे में डाले बिना लादने या उतारने का कार्य किया जा सके।

(vii) डिफ्यूजर या डाइरेक्ट एक्सपेंशन पाइप, जिनसे होकर हिमकारक द्रव्य (रेफरीजेरेन्ट) जाता हो, कोल्ड स्टोरेज में इस प्रकार लगाये जायेंगे कि सेन्टीग्रेड की अनुज्ञेय उच्चतम विभिन्नता सहित उपयुक्त तापमान और 5 प्रतिशत की अनुज्ञेय भिन्नता से सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज के प्रत्येक स्थान में बना रहे, जहाँ पर कृषि उत्पाद स्टोर किये गये हों।

(viii) प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज में ऐसे कृषि उत्पाद को जो खराब हो रहे हो या जिसमें खराब होने के लक्षण हो, पृथक करने तथा अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिये उपयुक्त और सुविधाजनक स्थान होगा, जिससे कि ऐसा कृषि उत्पाद, जब तक कि उसका निस्तारण न कर दिया जाये, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये अन्य कृषि उत्पाद के सम्पर्क में न आये या किसी प्रकार से उसे प्रभावित न करें।

(ix) कोल्ड स्टोरेज के भू–गृहादि में अग्निशामक और निस्संक्रमण उपस्कर तथा सामग्री सदैव प्रयोज्य दशा में रखी जायेगी ऐसी उपस्कर और सामग्रियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी भी रखे जायेंगे।

(x) कोल्ड स्टोरेज के भू–गृहादि में कर्मचारियों, किरायादाताओं या उनके अभिकर्ताओं के लिये तथा लद्दू और गाड़ी वाले पशुओं के लिये भी पेयजल की व्यवस्था होगी।

(xi) कोल्ड स्टोरेज तक पहुँच मार्ग इस प्रकार बनाया जायेगा जिससे कि कृषि उत्पाद के लाने ले जाने की व्यवस्था हो सके।

(xii) कोल्ड स्टोरेज में पूर्वशीतन कक्ष की व्यवस्था होगी जहाँ कोल्ड स्टोरेज में अन्तिम लदान के पूर्व, कृषि उत्पाद कम से कम 24 घंटे तक स्टोर किया जायेगा।

7. **लाइसेन्स का प्रपत्र धारा 6 (1) :** धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स प्रपत्र संख्या में होगा।

8. **लाइसेन्स की अवधि धारा 7 :** धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स एक कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा और उस दिनांक के, जब लाइसेन्स दिया जाय, आगासी 31 दिसम्बर को समाप्त होगा।

9. **लाइसेन्स का नवीनीकरण धारा 7 :** धारा 7 में निर्धारित शर्तों या धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स इस नियमावली के नियम 10 के अधीन लाइसेन्सधारी के आवेदन–पत्र और नियम11 के अधीन विहित फीस देने पर, समय–समय पर, एक कलेण्डर वर्ष के लिये नवीकृत किया जायेगा।

10. **लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र की धारा 7 :** लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदन–पत्र, प्रपत्र संख्या 4 में होगा और उसके साथ मूल कोषागार चालान होगा जिसमें इस नियमावली के नियम 11 के अनुसार जमा की गयी फी उल्लिखित होगी।

11. **प्रपत्र धारा 7 नवीकरण फी :** (1) एक कलेण्डर वर्ष के लिये लाइसेन्स के नवीकरण के निमित्त लाइसेन्स फी निम्नलिखित होगी :–

कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की क्षमता	लाइसेन्स फीस उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वायित्व और प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज	अन्य कोल्ड स्टोरेज
1	2	3
	रुपया	रुपया
(i) 282 घन मीटर तक	30	40
(ii) 282 घन मीटर से अधिक और 7,000 घन मीटर तक	130	175
(iii) 7,000 घन मीटर से अधिक और 15,000 घन मीटर तक	225	300
(iv) 15,000 घन मीटर से अधिक	375	500

(2) फीस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) में लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा की जायेगी।

12. **लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदन–पत्र का प्रपत्र धारा 7 :** (1) लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदन–पत्र उस वर्ष के जिसके लिये लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाना आपेक्षित हो, पिछले वर्ष की, अधिक से अधिक 31 अक्टूबर तक, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक बढ़ाया न जाय, लाइसेन्स अधिकारी के पास पहुँच जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि, जहाँ धारा 6 के अधीन लाइसेन्स 31 अक्टूबर को या उसके पश्चात् दिया जाय, वहाँ अगले कलेण्डर वर्ष के लिये लाइसेन्स के नवीकरण के लिये आवदेन–पत्र उस वर्ष के जिसके लिये लाइसेन्स का नवीकरण करना अपेक्षित है, पूर्ववर्ती वर्ष के अधिक से अधिक 31 दिसम्बर तक दिया जा सकता है।

(2) लाइसेन्स के नवीकरण के लिये विहित आवेदन–पत्र के साथ धारा 6 के अधीन दिया गया लाइसेन्स भेजा जायेगा।

13. **नवीकरण के लिये आवदेन पत्र को विलम्ब फीस सहित प्रस्तुत करना धारा 7 और 43 :** (1) नियम 12 में विनिर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् किन्तु 31 दिसम्बर के पश्चात् नहीं, लाइसेन्स के नवीकरण के लिये प्रस्तुत आवेदन–पत्र पर भी, विहित नवीकरण फीस और ऐसी विलम्ब फी जो उस लाइसेन्स के नवीकरण के लिये विहित फीस की राशि के आधे के बराबर हो, देने पर लाइसेन्स अधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम दिनांक को बढ़ा सकती है।

(2) फीस और विलम्बर फीस को इस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कोषागार चालान के माध्यम से कोषागार में जमा किया जायेगा।

14. लाइसेन्स की द्वितीय प्रति प्राप्त करने की फीस और प्रक्रिया : (1) यदि कोई लाइसेन्स खो जाये, नष्ट हो जाये, फट जाये, विरुपति हो जाये या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाये तो लाइसेन्स की द्वितीय प्रति पच्चीस रुपये की फीस, जो इस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा की जायेगी, देने पर जारी की जा सकती है।

(2) लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये आवेदन–पत्र प्रपत्र 5 में दिया जायेगा और उसके साथ मूल चालान होगा जिसमें उपर्युक्त उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट जमा की गयी फीस उल्लिखित होगी।

(3) जब खोये हुए लाइसेन्स के बदले में लाइसेन्स की द्वितीय प्रति अपेक्षित हो तो आवेदक द्वारा प्रपत्र संख्या 6 में क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र निष्पादित किया साथ संलग्न की जायेगी।

(4) लाइसेन्सधारी द्वारा खोये हुये या नष्ट हुये लाइसेन्स की भी रिपोर्ट थाने में की जायेगी और किए गए रिपोर्ट की एक प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(5) आवेदक, लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये लाइसेन्स अधिकारी को आवेदन–पत्र के साथ उस लाइसेन्स को, जो फट जाये, निरुपति हो जाये या अन्यथा अपठनीय हो जाय, अभ्यपित करेगा।

(6) जब कोई लाइसेन्स खो जाये या नष्ट हो जाये तब लाइसेन्सधारी तुरन्त इस तथ्य को, जिसमें लाइसेन्स की संख्या इंगित की जायेगी, किसी महत्त्वपूर्ण स्थानीय समाचार–पत्र में या यदि कोई स्थानीय समाचार–पत्र न हो तो राज्य के भीतर महत्त्वपूर्ण समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और समाचार पद की कतरन को जिसमें उक्त तथ्य अधिसूचित किया जाये, लाइसेन्स की द्वितीय प्रति दिये जाने के आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

(7) आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् लाइसेन्स अधिकारी, अपना समाधान करने के पश्चात् कि यथास्थिति उपनियम (1), (2), (3), (4) तथा (5) की शर्तें जहाँ तक वे विचाराधीन विशिष्ट मामले पर लागू होती है। आवेदक द्वारा पूरी की गयी है, लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी करेगा।

(8) इस प्रकार जारी की गयी लाइसेन्स की प्रत्येक द्वितीय प्रति में मूल लाइसेन्स की, जिसकी यह द्वितीय प्रति हो, संख्या और दिनांक उल्लिखित होगी और उस पर द्वितीय प्रति अंकित होगा।

प्रपत्र संख्या — 1

(नियम 3 देखिए)

प्रशीतन संयंत्र (रेफ्रीजरेशन प्लान्ट) की लाग बुक का रखा जाना

अवधि	वोल्टेज मीटर का तेल ए.एम.पी. 123	वायु चापित (प्रेसर्ड)	लाइन का दबाव सेक्शन का दबाव कन्डेसिंग दबाव	जल: पम्प संख्या	जल: दबाव

तापमान कमरा संख्या डी/बी/डब्लू वी हम	तापमान कमरा संख्या 2 डी/बी/डब्लू वी हम	तापमान कमरा संख्या डी/बी/डब्लू वी हम	तापमान कमरा संख्या 4 डी/बी/डब्लू वी हम	पूर्व शीतन तापमान डी/बी/डब्लू वी हम	बाहर का दबाव डी/बी/डब्लू वी हम	कम्प्रेसर संख्या 1 चालू: शुरू होना बन्द होना	योग

प्रबन्धक	आपरेटर जो के ड्यूटी पर हो, हस्ताक्षर	टेक्नीशियन	दिनांक	निर्देशन
	1—			198
	2—			

कम्प्रेसर संख्या 2 चालू: शुरू होना बन्द होना योग	कम्प्रेसर संख्या 3 चालू: शुरू होना बन्द होना योग	चालू पम्प (भीतरी): पम्प संख्या शुरू होना बन्द होना योग	पम्प (बाहरी): शुरू होना बन्द होना योग

डिफ्रिजिंग कक्ष				स्वच्छ वायु कक्ष					विद्युतीय उपभाग अभ्युक्ति
1	2	3	4	प्री.	1	2	3	4	प्री. शक्ति 440 वोल्ट

प्रपत्र संख्या – 2
(धारा 4 देखिए)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के अधीन लाइसेन्स के लिए आवेदन–पत्र

1. (1) आवेदक का नाम, पिता का नाम और पता
   (2) स्वामी का (स्वामियों के) नाम, पिता का नाम और पता
2. कोल्ड स्टोरेज का नाम और स्थिति, पत्र व्यवहार का पता, थाना और जिला
3. कोल्ड स्टोरेज का आकार
   (1) कक्षों की संख्या
   (2) एकशः कोल्ड स्टोरेज की कक्षों का आकार – लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई (मीटर में)।
   (3) समस्त कोल्ड स्टोरेज कक्षों का कुल स्थान (घन मीटर में)
4. (1) भवन, संरचना का प्रकार
   (2) जल–सम्भरण का प्रबन्ध
   (3) बिजली के सम्भरण का प्रबन्ध
   (4) स्टोर करने की रीति
   (5) रैकों की संरचना/प्रबन्ध के ब्योरे
   (6) प्रयुक्त प्रशीतन (रेफ्रीजरेन्ट) तथा सुरक्षा प्रबन्ध
   (7) क्या पूर्वशीतन (प्री–कुलिंग) की जाती है तो क्या कोई पूर्व शीतन कक्ष (प्री–कूलिंग चेम्बर) है?
   (8) क्या आपरेटरों के लिये कोल्ड स्टोरेज के भू–गृहादि में अथवा समीप ही क्वार्टरों की व्यवस्था है?
   (9) प्रबन्धक, टेक्नीशियन, टेक्निकल सुपरवाइजर/आपरेटर इत्यादि की योग्यताएँ तथा अनुभव।
5. प्रशीतक यंत्र (फ्रीजिंग प्लान्ट) की क्षमता
6. ब्योरे सति मशीनरी की सूची
7. अधिष्ठित मोटरों/प्राइम–मूवरों की कुल अश्वशक्ति (हार्स पावर)
8. सहायक यूनिट अथवा यूनिटों के, यदि कोई हों, ब्योरे
9. स्टोर करने के लिये स्वीकार किये जाने वाले कृषि उत्पाद (उत्पादों) के नाम
10. कोषागार का नाम और राशि जमा किए गए संलग्न कोषागार चालान की संख्या, दिनांक तथा राशि
11. अवधि, जिसके लिए लाइसेन्स अपेक्षित है।
12. स्टोर करने के उपशुल्क, किराया प्रभार की अनुसूची जिन्हें वसूल किया जाता है अथवा जिन्हें किरायादाताओं से वसूल किये जाने का प्रस्ताव है।
13. मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहाँ पर दी गयी सूचना अथवा ब्योरे मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सत्य है।
14. मैं/हम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का और उन निदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं, जो लाइसेन्स अधिकारी द्वारा उक्त अध्यादेश या नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किये जायें।

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

दिनांक

अवधेय :

इस आवेदन पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा :–

(1) स्वामी या स्वामियों में से एक के द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,
(2) महाप्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,
(3) सचिव द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

प्रपत्र संख्या — 3

(नियम 7 देखिए)

(उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के अधीन लाइसेन्स)

लाइसेन्स संख्या सी.एस.ओ.

1. लाइसेन्सधारी का नाम और पता
2. कोल्ड स्टोरेज की स्थिति

यह लाइसेन्स उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के उपक्रमों और अध्यादेश के अधीन बनाये गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अधीन दिया जाता है और उसके अध्यधीन है।

स्थान

दिनांक 198

विधि मान्यता की अवधि	भुगतान की गयी लाइसेन्स फीस	कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता (घनमीटर)	लाइसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर

शर्तें और निबन्धन

(1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही पूर्ण तथा लाइसेन्स अधिकारी के पूर्ण संतोषानुसार है।

(2) कोल्ड स्टोरेज नियम 6 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरूप है और रहेगा।

(3) किरायादाताओं को स्टोर किए गए या स्टोर किए जाने वाले कृषि उत्पाद का निरीक्षण करने, तुलवाने, मापने, नमूना लेने और श्रेणीकरण करने की सुविधा दी जायेगी।

(4) लाइसेन्स सदैव कोल्ड स्टोरेज के भू–गृहादि में रखा जायेगा और निरीक्षण तथा जाँच के लिए लाइसेन्स अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) उत्पादन शुल्क लगाने योग्य किसी कृषि उत्पाद का लेन–देन करने वाले कोल्ड स्टोरेज की दशा में लाइसेन्सधारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के समय–समय पर प्रवृत्त उत्पादन शुल्क विधियों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(6) भू–गृहादि, जिनमें कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो, स्वच्छ होंगे। कोल्ड स्टोरेज के भीतर प्रत्येक 46 45 वर्ग सेन्टीमीटर (5 वर्ग फुट) स्थान के निमित्त एक वाट की दर से विद्युत प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी।

For Sale

1. Sale of Ramnagar Refrigeration & Ice Pvt. Ltd.
2. Capacity 6000 Metric Tons (Approx. 1,20,000/- Bags of 50 Kg.)
3. Location : 57 Km. from Hazratganj, Lucknow situated at Ramnagar, District Barabanki.
4. No. of Chambers : Two - Established in 2004-2005.
5. Machinery : Bunker System, with (2) KC-4 Compressors, attached with Motor etc.
6. Generators : One Kirlosker 140 KVA, One 125 LKV Leyland Generator.
7. Ice Factory : Fully built and operational Ice Factory with 448 can capacity of 120 Kg. can
8. Power : 130 KVA Sanctioned Load with independent line from Power Station Ramnagar.
9. Land : 55000 Sq. Feet (Approx. 2 Bighas) in name of the Unit.
10. Unit in Running Condition.

Contact : **Shri Ajai Kumar Tripathi, Managing Director**
Mobile : 09415002968, 9621437973
E-mail : ajaikumartripathi@gmail.com, ajaikumartripathi@rediff.com

(7) समस्त प्रांगण, बहिर्गृह, स्टोर तथा भू–गृहादि के आगम द्वारा, जहाँ कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हों, स्वच्छ और शुद्ध रखे जायेंगे। कोल्ड स्टोरेज और भू–गृहादि में, जिसमें वह स्थित हो, निस्संक्रमण और दुर्गन्ध दूरीकरण की संक्रियता या उपचार उतनी बार किया जायेगा। जितनी बार आवश्यक हो और कम से कम एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।

(8) लाइसेन्सधारी कोई ऐसा उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करेगा जो कृषि उत्पादों से विपरीत अथवा गन्ध विरोधी हो। विपरीत गन्ध वाली उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज के पृथक कक्षों में स्टोर किये जायेंगे।

(9) किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को कोल्ड स्टोरेज में काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। कोल्ड स्टोरेज में, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों से भिन्न कर्मचारियों के इस परीक्षण का प्रबन्ध कि वे किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग अथवा अन्य रोग से ग्रस्त तो नहीं है, एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।

(10) कोल्ड स्टोरेज के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये ऐसे वस्त्रों की व्यवस्था की जायेगी जो उन्हें सर्दी से बचायें। हिमांक बिन्दु से निम्नस्तर दशा में काम करने वाले कर्मचारियों के निमित्त जूतों (बूट) की व्यवस्था की जायेगी।

(11) वायु के वितरण तथा परिसंचरण और वस्तुतः लादने और उतारने के निमित्त निम्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण किया जाये :–

(i) रैकों की पंक्तियों के बीच 00.75 मीटर से कम स्थान न होगा।

(ii) रैक दीवालों/फर्शों से कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दूर रखें जायेंगे।

(iii) प्रत्येक रैक के उच्चतम शेल्फ में छत तथा लदान के मध्य से कम से कम 30 सेन्टीमीटर की खाली जगह रखी जानी चाहिए।

(iv) रैक के प्रत्येक शेल्फ पर लादने तथा अनुगामी शेल्फ के मध्य कम से कम 7.5 सेन्टीमीटर खाली जगह रखी जानी चाहिए।

प्रतिबन्ध यह है कि जब बोरे में स्टोर किया जाय तब उप नियम (i), (ii), (iv) के अधीन शर्तों का पालन करते समय निम्नलिखित निर्देश का अनुसरण किया जायेगा :–

(क) एक स्टाक में एक दूसरे के ऊपर 6 से अधिक बोरे नहीं रखे जायेंगे।

(ख) प्रत्येक बोरों की कतार में 10 सेन्टीमीटर की जगह छोड़ी जायेगी।

(ग) स्टोर करने की अवधि के दौरान बोरों को दो बार ऊपर नीये किया जायेगा और उन्हें इस प्रकार रखा जायेगी कि स्टाक में जो बोरा सबसे नीचे है वह सबसे ऊपर रखा जाये और कृषि उत्पाद करने के 45 दिन के भीतर पहली बार और स्टोर करने के 10 दिन के भीतर बोरों को ऊपर नीचे किया जायेगा।

(12) कोल्ड स्टोरेज में ऐसे थर्मामीटर लगे होंगे जिनमें डाई बल्ब तथा वेट बल्ब ताप के पाठन किये जा सकें।

(13) प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रपत्र 1 में (लाग बुक) रखेगा और उसमें तापमान तथा सापेक्ष आर्द्रता तथा कम्प्रेशन का भारत–वाचन कोल्ड स्टोरेज के कार्यकरण के दौरान प्रत्येक चार घंटों पर अहर्निश पर्यन्त करेगा जब तक कि स्वचालित अभिलेखों यंत्र अधिष्ठित न कर दिए गए हों। लाइसेन्स अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त यथाचित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रत्येक निरीक्षण के मौके पर व्यक्तिशः अभिलेखों का सत्यापन करने के उपरान्त 'लाग बुक' पर हस्ताक्षर करेगा।

(14) लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक कोल्ड स्टोरेज के कार्य न करे की सूचना लाइसेन्सधारी द्वारा लाइसेन्स अधिकारी को तुरन्त दी जायेगी। इस प्रकार कार्य बन्द होने का कारण 'लाग बुक' में लिखा जायेगा और उसकी सूचना लाइसेन्स अधिकारी को दी जायेगी।

(15) प्रत्येक लाइसेन्सधारी किसी कार्य दिवस को सामान्य कार्य समय में कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश करने, निरीक्षण करने या परीक्षण करने या उसकी मशीन और उपकरण लेखा का वहाँ पर स्टोर किये गए कृषि उत्पाद, उसके कार्यालय, बहियों, अभिलेखों पत्रादि और परीक्षण या निरीक्षण करने के लिये सदैव ऐसी सुविधायें देगा जैसी लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और ऐसी अपेक्षा की जाने पर ऐसे अभिलेख या प्रस्तुत करेगा जो सूचना लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अध्यादेश के किसी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो।

(16) यदि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल, ऐसे कारण से जो लाइसेन्सधारी के नियंत्रण से परे हो, खराब होने लगे तो लाइसेन्सधारी इसके सूचना लाइसेन्स अधिकारी को तुरन्त देगा।

(17) किसी शेल्फ या फर्म को, जहाँ क्षतिग्रस्त या खराब हुआ, कृषि उत्पाद स्टोर किया गया हो या अस्थायी रूप से रखा गया हो, ऐसा उत्पाद हटाने या निस्तारित करने के पश्चात् तुरन्त स्वच्छ और निस्संक्रमित किया जायेगा।

(18) जहाँ लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में अपने नाम से कोई कृषि उत्पाद चाहे, वहाँ वह ऐसा करने के लिये अनुज्ञा के निमित्त लाइसेन्स अधिकारी को लिखित आवेदन–पत्र देगा, जिसमें उसके द्वारा स्टोर किये जाने वाले कृषि उत्पाद का परिमाण, प्रकार और अवधि जब तक के लिये इस प्रकार स्टोर करने का विचार हो, उल्लिखित की जायेगी और अपने द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को स्टोर करना वस्तुतः प्रारम्भ करने के पूर्व लाइसेन्स अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर लेगा।

(19) लाइसेन्सधारी इसके सम्बन्ध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिये, धारा 27 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये प्रभारी को छोड़कर कोई अन्य प्रभार जैसे बीमा प्रभार, कृषि उत्पाद को तौलने में कोल्ड स्टोरेज की प्रसीमा से, जहाँ उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिये किरायादाता द्वारा उतारा जाय, कृषि उत्पाद ले जाने, बोरों के ऊपर–नीचे करने और वापस करने के प्रयोजनार्थ उत्पाद को कोल्ड स्टोरेज से प्रसीमा तक ले जाने के प्रयोजनार्थ श्रम सम्बन्धी प्रभार तथा सुखाने, श्रेणीकरण करने छांटने और दुबारा बोरों में भरने आदि के लिये स्थान और उपस्कर की व्यवस्था करने के लिये जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा न दी जाय, नहीं लेगा।

प्रपत्र संख्या — 4

(नियम 10 देखिए)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 की धारा 7 के अधीन लाइसेन्स के नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र

1. स्वामी का (स्वामियों के) नाम, पिता का नाम और पता।
2. कोल्ड स्टोरेज का नाम और स्थिति और डाक का पता।
3. (1) लाइसेन्स की संख्या और दिनांक जिसका नवीकरण अपेक्षित है।
   (2) वर्तमान साल की समाप्ति का दिनांक।
4. वर्तमान लाइसेन्स जारी या नवीकृत किये जाने के पश्चात् कोल्ड स्टोरेज में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन/हेरफेर/ विस्तार आदि का ब्योरा।
5. जमा की गयी फीस की राशि, कोषागार का नाम (यथाविधि प्राप्तांकित) कोषागार चालान की संख्या और दिनांक संलग्न है।
6. अवधि जिसके लिये नवीकरण अपेक्षित है।
7. स्टोर करने के उपशुल्क/किराया प्रभार की अनुसूची में परिवर्तन, यदि कोई हो।
8. कोई अन्य सूचना जिसे आवेदक देना चाहे।
9. मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहाँ पर दी गयी सूचना/ब्योरा मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा विश्वास में सत्य है।
10. मैं/हम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 इसके अधीन बन गए नियमों के उपबन्धों का और उन निर्देशों का अनुपालन का वचन देता हूँ/देते हैं जो लाइसेन्स अधिकारी द्वारा उक्त अध्यादेश और नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किए जायें।

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

दिनांक

अवधेय —

इस आवेदन–पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा :–

(1) स्वामी या स्वामियों में से एक के द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो, या

(2) महाप्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज या निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो, या

(3) सचिव द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

प्रपत्र संख्या — 5

(नियम 14 देखिए)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के अधीन लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये आवेदन–पत्र।

सेवा में,
लाइसेन्स अधिकारी

महोदय,

मैं/हम .... के श्री .... के पुत्र/पुत्री (पुत्रियाँ)/हैं निवासी .... डाकखाना .... थाना .... जिला .... कथन करता हूँ/करते हैं कि .... समाप्त होने वाली अवधि के लिये धारा .... के अधीन मुझे/हमें दिया गया लाइसेन्स संख्या .... दिनांक .... निम्नलिखित परिस्थितियों में अपठनीय है।

(यहाँ उन परिस्थितियों को उल्लिखित करें जिनमें लाइसेन्स खो गया/नष्ट हो गया/क्षतिग्रस्त हो गया/फट गया/विपति हो गया/अपठनीय हो गया)

2. अतएव मैं/हम आपसे निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें लाइसेन्स की एक द्वितीय प्रति उन्हें शर्तों और निबन्धनों पर जिन पर ऊपर स्वीकृत मूल लाइसेन्स दिया गया था, जारी करें।
3. मैं/हम .... रुपये (................................ रुपये) की विहित फीस देने के सबूत में कोषागार चालान संलग्न करता हूँ/करते हैं।

4. मैं/हम सत्यनिष्ठ से घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहाँ दिये गए विवरण या सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है।

5. मैं/हम मूल लाइसेन्स को अभ्यर्पित करता हूँ/करते हैं (जब लाइसेन्स खो या नष्ट न हो जाए)

साक्षी (1) ....

साक्षी (2) ....

(दो साक्षियों के नाम और पते और उनके पूरे हस्ताक्षर यहाँ किये जायें।)

भवदीय

आवेदक (अवेदकों) के हस्ताक्षर

अवधेय –

1. आवेदन–पत्र में, जहाँ शब्द आवश्यक न हों, निकाल दिये जायें।
2. इस आवेदन–पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा :–
   (1) स्वामी या स्वामियों में एक के द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,

   या

   (2) महाप्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,

   (3) सचिव द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

प्रपत्र संख्या – 6
(नियम 14 देखिए)

सेवा में,
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के अधीन मुझे/हमें दिये गये लाइसेन्स संख्या दिनांक .... को जिसे मैंने/हमनें खो दिया, आज लाइसेन्स अधिकारी द्वारा दी गयी द्वितीय प्रति के प्रतिफल में मैं/हम स्वयं, मेरे/हमारे उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक उत्तर प्रदेश सरकार को किसी हानि या क्षति की, जो उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लाइसेन्स का प्रयोग करने के कारण पूर्ति करने के लिये सहमत हूँ/हैं और मैं/हम अग्रेतर लाइसेन्स देने वाले अधिकारी को मूल लाइसेन्स यदि मुझे/हमें प्राप्त हो जाये वापस करने का वचन देता हूँ/वचन देते हैं।

और मैं/हम अग्रेतर इससे सहमत हूँ/मैं कि राज्य सरकार उपर्युक्त समस्त हानि या क्षति को मुझसे/हमसे भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिये हकदार होगी।

.... बार .... दिनांक .... 1976 को मैं हस्ताक्षरित।

निष्पादक के हस्ताक्षर

निम्न की उपस्थिति में :–

1–
पता
2–
पता

टिप्पणी : यह क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र उचित मूल्य के न्यायकेतर मुद्रांक पर निष्पादित किया जाना चाहिये।

फार्म संख्या – 7
कोल्ड स्टोरेज रसीद

क्रम–संख्या
कोल्ड स्टोरेज का नाम तथा स्थान
कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स संख्या
किरायादाता/जमाकर्ता का नाम व पता
कृषि उत्पाद जिसका ब्योरा निम्नलिखित है प्राप्त हुये

नाम व पता	वर्ग अथवा किस्म	मानक अथवा श्रेणी	पकिटों अथवा ढेरियों की संख्या	भार अथवा माप इत्यादि के आधार पर शुद्ध परिमाण (कि.ग्रा. में)

1. भण्डारण की तिथि :–
2. कृषि उत्पाद की दशा :–
   (1) उत्तम।
   (2) किंचित न्यून उत्तम।
   (3) औसत।
3. स्टोर करने की दर :–
4. कृषि उत्पाद से तक स्टोरेज करने के लिये स्वीकार किये जाते हैं।
5. स्टोर करने के समय कृषि उत्पाद बाजार की दर :–
6. यह रसीद उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन जारी की जा रही है।

दिनांक | **किरायादाता/जमाकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत** | **लाइसेन्सधारी अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर**

आज्ञा से
रवि मोहन सेठी
सचिव

अग्नि शमन सम्बन्धी आवश्यक नियम :

यह नियम हम अपनी सितम्बर, 2012 की पत्रिका में प्रकाशित कर चुके हैं। शीतगृहस्वामियों की माँग पर हम इसे पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।

हम पहले भी कह चुके है कि अग्नि सम्बन्धी नियम 15 मीटर से ऊँची बिल्डिंगों पर ही लागू होते है अर्थात् आप के शीतगृह की ऊचाई 15 मीटर यानि 49 फुट से कम है तो आपको अग्नि सुरक्षा अधिनियम (Act No. 6 of 2005) व उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण अधिनियम लागू नहीं होंगे यह अधिनियम 15 मीटर से ऊपर की तीन स्टोरी बिल्डिंग से ज्यादा ऊँची बिल्डिंग और 400 मीटर से ज्यादा जमीन को घेरती हुई बिल्डिंग पर ही लागू होंगे। इसे हम यहाँ अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रहे हैं।

In case of multi-storeyed buildings above 15 metre in height, building which are more than three storeys and building with more than 400 square metres ground floor coverage and all other buildings of industrial, storage, assembly and hazardous type building scheme, provisions of Uttar Pradesh Agni Nivaran our Agni Suraksha Adhinium (Act no.6 of 2005) shall apply.

फिर भी शीतगृहों को अपने यहाँ पूरा (hydrant system) व आग बुझाने के संयंत्र नियमानुसार लगाने चाहिए। यह शीतगृहों की सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

....

....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित